अपील सूचना अधिकार संख्या 86/2020 (RCMS 2020/00158) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु ... वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक , श्रीगंगानगर (पो.ऑ. नं. 48 एफ/310370) बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 से लोक सूचना अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने एवं हर्जाना तथा वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. अपील प्रथम संख्या 84/18 राधेयशम बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.18 को संलग्न किये गये। आई.पी.ओ. का क्रमांक का नम्बर व यह राशि जिला दिवस ... या अन्य किसी विभाग में जमा ... प्रमाणित प्रति रू 10/– ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. प्रार्थी द्वारा अपील प्रथम संख्या 74/2018 राधेश्याम बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग जयपुर मे आवेदन आरटीआई 2005 की धारा 6(1) के साथ संख्या दिनांक 22.10.2018 अपील 79/18 के संलग्न रू 10/– आईपीओ की क्रमांक संख्या की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. यह आई.पी.ओ. जिस दिवस, डाकखाना में या किसी अन्य संख्या में राशि प्राप्ति हेतु जमा करवाया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(55)(RTI)निर्वा/2020/1753 दिनांक 07.07.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपका आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 आईपीओ नं. 48एफ–310370 इस कार्यालय को दिनांक 26.06.2020 को प्राप्त हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 1 से 3 में आप द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युतर निम्नानुसार है।

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की [illegible] तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी [illegible] जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक[illegible] में [illegible]लेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत सलाह, प्रेस–वि[illegible]त, परिपत्र, आदेश, लॉग

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने मॉडल सबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

-sd-

लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का उत्तर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर **द्वारा अपने पत्रांक 1753 दिनांक 07.07.2021 द्वारा दिया जा चुका है।** **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। [illegible] रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही [illegible] सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को दिनांक 07.07.2020 को जो उत्तर दिया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। फिर भी अपीलार्थी यदि किसी निश्चित अभिलेख का निरीक्षण कर सूचना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर